न्यायालयः—दीपक चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म०प्र०) आप० प्रकरण कं० 459 / 09 ई०फौ० संस्थित दिनांक 05.10.09

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)।अभियोजन

ब ना म

1—परताप पुत्र श्यामलाल आयु—35 साल, जाति—आदिवासी 2—कृपाराम पुत्र श्यामलाल आयु—25 साल, जाति—आदिवासी 3—कोमल पुत्र रामचरण आयु 23 साल, जाति—आदिवासी 4—कल्लू पुत्र रामचरण आयु—35 साल, जाति—आदिवासी निवासीगण—खानपुर (नयाखेडा), थाना—चंदेरी, जिला— अशोकनगर (म0प्र0)

>आरोपीगण -----

अभियोजन द्वारा आरोपीगण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री सुदीप शर्मा।

श्री आई० के० पटान अधिवक्ता।

/ / निर्णय / / आज दिनांक.....को घोषित}

1— प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू पर धारा 294, 323/34, 190 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.08.09 को 18. 00 बजे ग्राम नयाखेडा में लोक स्थल पर फरियादी शिशुपाल को मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, फरियादी शिशुपाल की मारपीट का सामान्य आशय बनाया, जिसके अग्रसरण में फरियादी की स्वेच्छया मारपीट कर उपहित कारित कर, लोक सेवा की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी। प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— अभियोजन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शिशुपाल ने दिनांक 16.08.09 को थाना चंदेरी आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आरोपी परताप व उसके भाईयों ने मुन्ना की मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट करवाने वह थाने में गया था, इसी रंजिश पर से आज जब फरियादी हैंडपंप पर पानी भरने गया तो आरोपी परतार, कोमल, कृपाराम व कल्लू आये और फरियादी को मां बहन की बुरी—बुरी गालिया देने लगे और कहने

लगे कि तूने मेरी रिपोर्ट कराई थी तथा कल्लू ने फरियादी के सिर में कुल्हाडी मार दी, जो फरियादी के सिर में दाहिनी तरफ लगकर चोट होकर खून निकल आया और फरियादी गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी कृपाराम ने फरियादी को बाये तरफ सिर में लुहांगी मारी, जिससे फरियादी का खून निकल आया। आरोपी परताप तथा कोमल फरियादी की लाठियों से मारपीट की। इतने में मौके पर मुन्ना, घनश्याम, पप्पू आ गये, जिन्होंने बीच—बचाव किया। जब फरियादी थाने में रिपोर्ट करने आने लगा तो चारों आरोपीगण ने फरियादी को रास्ते में रोक लिया और बोले कि रिपोर्ट करने गये, तो जान से खत्म कर फैंक देंगें। फिर फरियादी छिपकर प्राणपुर आया और उसके बाद थाना चंदेरी आकर आरोपीगण की मारपीट की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदेरी के अपराध कमांक 259/09 धारा 341, 294, 324, 323, 506बी, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत असल कायमी की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 4— आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल व कल्लू के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 190 भा0द0स0 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया है एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक पृथक से अंकित किया गया।
- 5— धारा 313 द०प्र०स० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 6— इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :—
- 1. क्या आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू ने दिनांक 16.08.09 को 18.00 बजे ग्राम नयाखेडा में लोक स्थल पर फरियादी शिशुपाल को मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी शिशुपाल की मारपीट का सामान्य आशय बनाया, जिसके अग्रसरण में फरियादी की स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?
- 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी शिशुपाल को लोक सेवा की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी ?

//सकारण निष्कर्ष//

/ / विचारणीय प्रश्न कं० 1 लगायत 3 / /

7— उक्त विचारणीय प्रश्न एक ही घटना से संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। 8— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शिशुपाल (अ०सा०1) का कथन है कि वह आरोपीगण प्रताप, कोमल, कल्लू व कृपाराम को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से डेढ साल पहले की शाम के 7—8.00 बजे की है। वह जंगल से लौट रहा था तथा आरोपी उसे रास्ते में मिले और बोले कि तूझे कितनी बार समझाया तूझे समझ में नहीं आता है। आरोपीगण ने उसे गालिया दी, उसने मना किया तो आरोपीगण चेंट गये। आरोपीगण ने उसे सिर में लटढ मारे, जिससे उसका सिर फट गया था, तथा वह बेहोश हो गया था। आरोपीगण उसकी मारपीट कर भाग गये थे। इस साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपीगण लाठी और लुहांगी लिये हुये थे। उसे सिर में लुहांगी की लगी थी। घटना के समय पप्पू ने बीच बचाव किया था। जब उसे होश आया, तब वह थाने गया और उसने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट प्रपी—1 है, जिसके अ से अ भाग उसके हस्ताक्षर है। पुलिस मौके पर गई थी। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका उसके समक्ष तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे डॉक्टरी जांच हेतु भेजा था। उसकी डॉक्टरी चंदेरी व गुना अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

9— फरियादी शिशुपाल (अ०सा०1) से न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर फरियादी ने कथन किया है कि कल्लू ने उसकी कुल्हाडी से मारपीट की थी, जिससे उसे पैर में बायी तरफ चोट आई थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी कल्लू ने उसे सिर में दाहिनी तरफ कुल्हाडी मारी थी। साक्षी ने सिर का निशान दिखाते हुये बताया कि यह चोट का निशान है, 18—19 टांके आये थे। इस साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी कोमल ने उसे बाये तरफ लुहांगी मारी थी तथा लुहांगी से भी उसका सिर फट गया था।

10— साक्षी घनश्याम (अ०सा०३) ने फरियादी शिशुपाल (अ०सा०1) के कथन का समर्थन करते हुये अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपीगण व फरियादी का जानता है। घ ाटना ढेड साल पहले की शाम के समय की है। वह घटना के समय महुआ, नीम के पेड के पास थोडी दूरी पर था। कल्लू, प्रताप, कृपाराम व कोमल चारों मिलकर शिशुपाल को मारने लगे। आरोपीगण हाथ में डंडा व कुल्हाडी लिये थे। प्रताप ने कुल्हाडी मारी थी तथा तीन लोग लटठ लिये हुये थे, शिशुपाल के सिर, हाथ, पैर व पीठ में चोट आई थी। वह दौडकर गया और शिशुपाल को उठाकर थाने ले गया था, फिर वहां से अस्पताल भेजा था। पुलिस वाले खानपुर गये थे, जहां उन्होंने उसके बयान लिये थे।

11— साक्षी पप्पू (अ०सा०२) का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 4—5 माह पहले की शाम के समय की है। जब हल्ला हुआ तब वह बाहर आया, किंतु लडाई शांत हो गई थी। इस साक्षी का यह भी कथन है कि शिशुपाल व आरोपीगण की लडाई हुई थी। उसने तो शांत होते हुये देखा था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर

परीक्षण किये जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह घटना के समय महुआ के पेड के पास बैठा था तथा शिशुपाल को कल्लू ने कुल्हाडी मारी थी तथा प्रताप ने शिशुपाल के बाये हाथ के डढा में लाठी मारी थी, और कोमल ने शिशुपाल को लाठी मारी थी। उसने जब देखा, तब शिशुपाल को सिर से खून निकल रहा था। किंतु इस साक्षी को पुलिस कथन प्रपी—3 का अ से अ भाग दिनांक बीचा बचाव किया था, पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने कोई झगडा नहीं देखा है और न ही उसे कोई झगडा होने का पता है। वह नहीं बता सकता है कि फरियादी ने आरोपीगण को मारा था या आरोपीगण ने फरियादी को मारा। इस प्रकार इस साक्षी ने परस्पर विरोधाभासी कथन किये है। जिससे उसकी साक्ष्य पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है।

12— साक्षी जाकिर खां (अ०सा०4) का कथन है कि झगडा उसके न्यायालयीन कथन से 2—3 साल पहले का है। वह टार्ड से अपने घर नयाखेडा आ रहा था। नयाखेडा गांव में फरियादी और आरोपीगण का झगडा हो रहा था। उसके सामने प्रताप शिशुपाल को डंडा मार रहा था और 2—3 आरोपी भाग गये थे, जिनको वह नहीं देख पाया था, उसने शिशुपाल के सिर में चोट लगी देखी थी। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उसे घटना के बारे में किसी ने कोई बात नहीं बताई तथा उससे किसी ने कभी कोई पूछताछ नहीं की।

14— साक्षी मुन्ना आदिवासी (अ०सा०२) का कथन है कि उसके समक्ष कोई घटना नहीं हुई। पुलिस ने उससे कभी भी कोई पूछताछ नहीं की और न ही उसके बयान लिये। इस साक्षी से न्यायालय द्वारा पृछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 16.08. 09 को करीब 6.00 बजे आरोपीगण ने शिशुपाल को मां बहन की बुरी—बुरी गालिया दी थी, तथा आरोपी कल्लू ने शिशुपाल को सिर में कुल्हाडी तथा प्रताप व कोमल ने शिशुपाल को लािठयों से मारा था, जिससे उसे चोटे आई थी। साथ ही इस बात से इंकार किया है कि उसने, पप्पू व घनश्याम ने बीच बचाव किया था। इस साक्षी को पुलिस कथन प्रपी—6 का ए से ए भाग दिनांक 16.08.09 किया था, पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना बताया है, पुलिस ने कैसे लिख लिया, वह कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन की घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करते हुये आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

15— ए० एस० आई० शिवमंगल सिंह सेंगर (अ०सा०७) का कथन है कि वह दिनांक 16.08.09 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी शिशुपाल कुश्वाह ने आरोपी प्रताप, कृपाराम, कोमल व कल्लू के विरुद्ध मारपीट, गाली—गलौज, रास्ता रोकन व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो उसके द्वारा अप.क. 259/09 पर दर्ज की गई थी, रिपोर्ट प्रपी—1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत शिशुपाल को चोटों के उपचार हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया था।

डॉ० एम० एल० खरका (अ०सा०५) का कथन है कि वह दिनांक 16.08.09 को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंदेरी में मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक का थाना चंदेरी के सैनिक शिवचरण द्वारा शिशुपाल पुत्र मर्दन कुशवाह को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेत् उसके समक्ष लाया गया था। परीक्षण में उसने आहत के शरीर पर चोट कमांक 1 फटा हुआ घाव सिर के दाहिनी ओर पैराईटल रीजन पर चार सेमी गुणा 1.5 सेमी गुणा हडडी की गहराई तक, चोट कमांक 2 फटा हुआ घाव सिर के वायी तरफ पैराईटल रीजन में तीन सेमी गुणा 0.75 सेमी गुणा हडडी की गहराई तक, चोट कमांक 3 नीलगू निशान बाये डढा पर मध्य में पाया था। उसके मत में सभी चोटों पर सूजन, दर्द व चोट का रंग लाल तथा घाव पर खून के थक्के जमे हुये थे। सभी चोटें सक्त तथा भोतरी वस्तु द्वारा पहुंचाई गई थी। चोट क्रमांक 1 व 2 की प्रकृति जानने हेतु एक्सरे के लिये भेजा गया था। शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी और उसके मेडीकल परीक्षण से 24 घंटे के अंदर की थी। उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्रपी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार डॉ० एम0 एल0 खरका (अ0सा05) ने घटना दिनांक को फरियादी के शरीर पर चोटें होने की साक्ष्य दी है। यद्यपि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है। किंतु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थितियां दर्शित नहीं है, कि फरियादी को उक्त चोटें गिरने के परिणाम स्वरूप आई हो। चूंकि उक्त साक्षी एक चिकित्सीय साक्षी है।

साथ ही इस बिंदू पर इस साक्षी का उक्त कथन अपने प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहा है, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं है।

17— आरोपीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री आई0 के0 पठान ने अभियोजन साक्षीगण के परीक्षण / प्रतिपरीक्षण को उद्धृत करते हुये व्यक्त किया है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है, जिससे उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

18— फरियादी शिशुपाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 में कथन किया है कि घटना के समय उसे आरोपी कृपाराम ने उसे लुहांगी मारी थी, जिससे उसे सिर के बांयी तरफ चोट लगकर खून निकला था, जबिक फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 9 में कथन किया है कि उसे आरोपी कोमल ने सिर के बाये तरफ लुहांगी मारी थी। साथ ही फरियादी ने फरियादी ने प्रपी—1 की रिपोर्ट में कथन किया है कि घटना के समय मुन्ना, धनश्याम व पप्पू ने आकर बीच बचाव किया था। किंतु स्वयं फरियादी ने अपनी साक्ष्य के पद कमांक 4 में केवल साक्षी पप्पू द्वारा बीच बचाव करना बताया है। साथ ही फरियादी ने कथन किया है कि उसे दो घंटा बाद जब होश आया था, तब पप्पू आया था एवं आरोपीगण उसकी दो घंटे तक मारपीट करते रहे थे। प्रपी—1 की रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें फरियादी का जाकिर मोहम्मद के साथ रिपोर्ट हेतु थाना पहुंचने का उल्लेख है। जबिक फरियादी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह थाने अकेले गया था तथा मुन्ना व घनश्याम उसे थाने में मिले थे। जबिक साक्षी घनश्याम (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह शिशुपाल को उठाकर थाने ले गया था। इस प्रकार अभियोजन के उक्त साक्षीगण के कथनों में थोडा बहुत विरोधाभास होना तथा घटना को बढा चढाकर बताया जाना दर्शित है। किंतु उक्त विरोधाभास के आधार पर ही उक्त साक्षीगण की समग्र साक्ष्य को अविश्सनीय नहीं माना जा सकता है।

19— एक झूंठ तो सब झूंठ न तो विधि का सुस्थापित नियम है और ना ही प्रक्रिया का नियम है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का अंश न हो, या बढा—चढाकर या नमक मिर्च लगाकर वर्णन नहीं किया जा रहा हो। न्यायदृष्टांत अद्भुल गनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य ए0आई0आर01954 एस0सी031 में यह विधिक स्थिति प्रतिपादित की गई है कि, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह झूंठ एवं सच के मिश्रण में से सच को निकालने का प्रयास करे। न्यायालय को दूध का दूध एवं पानी का पानी करने एवं भूसे के ढेर से दाना निकालने का प्रयास करना चाहिये, साक्ष्य में फर्क होने पर संपूर्ण साक्ष्य को एवं मामले को नकारने का सरल तरीका अपनाया जाना उचित तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विरोधाभास के आधार पर ही उक्त साक्षीगण की समग्र साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। जबकि उक्त साक्षीगण के उक्त कथन अपने प्रतिपरीक्षण में थोडे बहुत विरोधाभास को छोडकर अखण्डनीय रहे है।

जहां तक आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को फरियादी को मां-बहिन की 20-अश्लील गालियां दिये जाने व लोक सेवक की संरक्षा हेत् आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है उसके संबंध में फरियादी शिशुपाल (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि आरोपीगण ने उसे गालियां दी। किंत् फरियादी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे कौन सी गालियां दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे क्षोभ कारित हुआ। जबिक साक्षी जािकर खां (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में इस बात से इंकार किया है कि उसे शिशुपाल ने ऐसा नहीं बताया था कि आरोपीगण ने उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालिया दी। फरियादी शिशुपाल (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन तो किया है, किंतू इस साक्षी ने इस संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे लोक सेवक की संरक्षा से विरत रहने हेत् जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर पेश नहीं की गई है। जिससे प्रकरण में धारा 294, 190 भादवि के अपराध का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । फलतः आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल व कल्लू को धारा 294, 190 भादवि के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21— आरोपीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण व फरियादी के मध्य पूर्व से रंजिश है। इस कारण आरोपीगण का प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस संबंध में फरियादी शिशुपाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 में कथन किया है कि परताप तथा उसके भाईयों ने मुन्ना की मारपीट की थी, तो वह उसके साथ रिपोर्ट कराने थाने गया था। इसी रंजिश पर से आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी। किंतु फरियादी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपीगण से कहता है कि वह उसके बतायेनुसार चले, इसी कारण उसने यह झूठी रिपोर्ट लिखाई है।

22— यदि यह मान भी लिया जायें कि फरियादी व आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश थी। किन्तु जहां तक रंजिश का प्रश्न है वह एक दुधारी तलवार की भांति है, जो एक ओर मिथ्या संलिप्त कर सकती है तो दूसरी ओर हेतुक का कार्य भी कर सकती है, किंतु मात्र रंजिश के आधार पर ही प्रकरण में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अपितु इस हेतु प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभिलेख पर आई साक्ष्य के परिपेक्ष्य में ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं।

23— चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं फरियादी शिशुपाल (अ0सा01) ने घटना के समय चारों आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करने पर सिर व हाथ में चोट आना बताया है। जिसका समर्थन साक्षी घनश्याम (अ0सा03) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। जबकि साक्षी जाकिर खां (अ०सा०४) ने भी फरियादी और आरोपीगण का झगडा होना तथा शिशुपाल के सिर में चोट लगी हुई देखना बताया है। इस बिंदु पर उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण में थोडे बहुत विरोधाभास को छोडकर अखण्डनीय रहे है। जिससे उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं है।

24— जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 में भी फरियादी की आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार फरियादी शिशुपाल (अ0सा01) का कथन उसकी मारपीट होने व उसके शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 से पुष्ट है, तथा इस बिन्दु पर उसके कथन का समर्थन साक्षी शिवमंगल सिंह सेंगर (अ0सा07) के कथन से भी होता है, जिसमें उसने घटना दिनांक को फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध मारपीट के संबंध में रिपोर्ट लेख किया जाना तथा फरियादी को मेडीकल परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा जाना बताया है।

25— जबिक डॉ० एम० एल० खरका (अ०सा०५) ने घटना दिनांक को फरियादी शिशुपाल के शरीर पर चोटें होने की साक्ष्य दी है। चूंकि फरियादी के कथन का समर्थन चिकित्सीय प्रतिवेदन और यथासम्भव शीघ्रता से की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी हो रहा है एवं यदि फरियादी के कथनों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है तो ऐसी स्थिति में फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। चूंकि चारों आरोपीगण की मौके पर एक साथ उपस्थिति और उनका एक साथ फरियादी की मारपीट में सिक्रय सहयोग उनके सामान्य आशय के तथ्य को इंगित करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य की विवेचना से घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू द्वारा फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित किया जाना प्रमाणित है।

26— फलतः अभिलेख पर आयी समग्र साक्ष्य के परिशीलन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू ने फरियादी शिशुपाल की मारपीट का सामान्य आशय बनाया एवं उसके अग्रसरण में फरियादी शिशुपाल की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू को भा०द०स० की धारा 323/34 भा०द०स० के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध पाता है। जबिक अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 190 भा०द०सं० के अपराध का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहने से आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू को धारा 294, 190 भा०द०सं० के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

27— सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लिखाया जाना कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है ।

पुनश्च:

28— सजा के प्रश्न पर आरोपीगण और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है एवं आरोपीगण यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाये।

29— अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपीगण अधिवक्ता के तर्को परिवचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषिसिद्धि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। चूंकि आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थे एवं आरोपीगण द्वारा जिस तरह से मिलकर फिरयादी की मारपीट कर उसे एकाधिक चोटें कारित की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उनके कृत्य के लिये परीवीक्षा का लाभ न दिया जाकर शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपीगण परताप, कृपाराम, कोमल, कल्लू प्रत्येक को धारा 323/34 भादिव के अपराध के आरोप में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 800/— रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर ऐसे आरोपी को 15 दिन का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

30— आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर 2000 / — रू. बतौर क्षितिपूर्ति फरियादी शिशुपाल को अपील अविध पश्चात दिलाये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाये।

31— आरोपीगण के जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

32- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

33— आरोपीगण जिस अवधि के लिए न्यायिक निरोध में रहे हो उनके संबंध में द0प्र0स0 की धारा 428 के अंतर्गत निरोध प्रमाण पत्र तैयार किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(दीपक चौधरी) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंदेरी जिला–अशोकनगर (म0प्र0) (दीपक चौधरी) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंदेरी जिला—अशोकनगर (म0प्र0)